न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 45/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स ओम सांई रिपेयरिंग सेन्टर, 7 नम्बर चौराहा, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, जगतपुरा, जयपुर।
2. श्री अतर सिंह पुत्र श्री सुबुद्धि राम ग्राम जगदीशपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली राजस्थान हाल निवासी 267/619 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर कार्यकर्ता फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 08.03.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर शहर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.04.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच हेतु मैसर्स ओम सांई रिपेयरिंग सेन्टर पर पहुंचे। मौके पर कार्यकर्ता अतर सिंह उपस्थित मिला। दौराने जांच 1 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी व 4 नोन आईएसआई छोटे सिलेण्डर मय 12.100 किग्रा. एलपीजी, एक विद्युत चलित मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर जो गाडियों में गैस भरने के काम आती है, एक बडी लोहे की बांसुरी, एक पीतल की छोटी बांसुरी, एक तौलने का इलेक्ट्रोनिक कांटा जीवन नागजी मार्का को जब्त किया गया। जिनके संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से फर्म मालिक मुकेश सिंह ने उपस्थिति दी। मुकेश सिंह ने दिनांक 02.03.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। यदि जब्त सामग्री को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उक्त जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 08.03.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 20.04.2018 को जब्त घरेलू सिलेण्डर व अन्य सामान की सहायता से अप्रार्थीगण द्वारा गैस रीफिलिंग की जा रही थी। मौके पर कुछ सिलेण्डरों की सील खुली हुयी थी व गैस भी कम पायी गयी। मौके से 2 हिसाब की कॉपियां मिली जिनमें गैस रिफिल, ट्रांसफर और बेचने का हिसाब है जिससे यह स्पष्ट है कि इस दुकान पर गैस ट्रांसफर करने एवं खरीदने बेचने का अवैध कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व अन्य जब्त सामान से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 1 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी व 4 नोन आईएसआई छोटे सिलेण्डर मय 12.100 किग्रा. एलपीजी, एक विद्युत चलित मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर जो गाडियों में गैस भरने के काम आती है, एक बडी लाहे की बांसुरी, एक पीतल की छोटी बांसुरी, एक तौलने का इलेक्ट्रोनिक कांटा जीवन नागजी मार्का को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर